

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 1447 / 13

संस्थापन दिनांक : 28.11.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—मुकेश उर्फ कल्ली पुत्र सुरेश सिरोत्री उम्र 21 वर्ष
निवासी ग्राम सिलौहा थाना मौ जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 13.11.13 को 14:50 बजे या उसके लगभग मौ गोहद रोड दंदरौआ मोड़ अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक लोहे की छुरी लंबाई करीबन 1 वालिस्त 10 अंगुल को प्रतिबंधित आकार की रखी।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.11.13 को ए.एस.आई. विनोद भार्गव को दौराने इलाका गश्त मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक आदमी अपराध करने की नीयत से जीरो रोड पर बने प्रतीक्षालय में छुरी लिए बैठा है। सूचना की तस्दीक हेतु समय 14:50 बजे मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचने पर एक व्यक्ति जीरो रोड पर प्रतीक्षालय में बैठा दिखा जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो भागने का प्रयास करने लगा तब आरक्षक लक्ष्मणसिंह अ0सा04 की मदद से आरोपी को पकड़ा एवं नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मुकेश उर्फ कल्ली पुत्र सुरेश श्रोती निवासी सिलौहा का होना बताया। मौके पर समक्ष गवाहन इन्द्रसिंह अ0सा01 के आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी एक छुरी कमर में छिपाये मिला। आरोपी से छुरी रखने का वैध लाइसेन्स चाहा तो आरोपी ने न होना बताया। तब आरोपी के कब्जे से समक्ष पंचाना छुरी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 बनाया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-2

बनाया तथा आरोपी के विरुद्ध प्र०पी-4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी रिपोर्ट पर से थाना मौ में अप०क० 268/13 पर मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी का परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपी ने दिनांक 13.11.13 को 14:50 बजे या उसके लगभग मौ गोहद रोड दंदरौआ मोड़ अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक लोहे की छुरी लंबाई करीबन 1 वालिस्त 10 अंगुल को प्रतिबंधित आकार की रखी ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. साक्षी विनोद भार्गव अ०सा०३ का कथन है कि वह दिनांक 13.11.13 को थाना मौ चौकी झांकरी में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को इलाका गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक आदमी जीरो रोड पर प्रतीक्षालय में छुरी लेकर बैठा है जिसकी तस्दीक हेतु प्रतीक्षालय पहुंचा तो पुलिस को देखकर एक आदमी ने भागने का प्रयास किया जिसे फोर्स की मदद से पकड़ने पर तथा उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश बताया जिसकी तलाशी ली गयी तो एक लोहे का छुरा कमर में छिपाये मिला तथा उससे छुरी रखने का लाइसेन्स चाहा तो उसने न होना बताया। मौके पर छुरी जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी। थाना वापिसी पर एफ.आई.आर. प्र०पी-4 कायम की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती पत्रक प्र०पी-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी-2 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रोजनामचा की प्रति प्र०पी-5 है।
6. साक्षी लक्ष्मण अ०सा०४ का कथन है कि वह दिनांक 13.11.13 को थाना मौ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को विनोद कुमार भार्गव अ०सा०३ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक आदमी अपराध करने की नीयत से जीरो रोड पर छुरी लिए बैठा है जिसकी तस्दीक के लिए वह विनोद कुमार भार्गव अ०सा०३ के साथ गया था तब घटनास्थल पर एक व्यक्ति पुलिस को आता देख भागने लगा जिसे पकड़कर तलाशी ली तो कमर में लोहे की छुरी मिली जिसका विनोद कुमार भार्गव अ०सा०३ ने लाइसेन्स पूछा तो न होना बताया तब मौके पर छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी-1 बनाया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी-2 बनाया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को छुरी के साथ थाने पर लाया गया तथा उसका बयान प्र०आरक्षक श्रीकृष्ण अ०सा०२ ने लिया था।
7. साक्षी इन्द्रसिंह अ०सा०१ ने कथन किया है कि वह ग्राम जनकपुरा में वर्ष 2001 से चौकीदार है उसके घटना की जानकारी नहीं है उसके सामने पुलिस ने कोई छुरी जप्त नहीं की और न ही किसी को गिरफ्तार किया। जप्ती पत्रक प्र०पी-1 और गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस

साक्षी ने इंकार किया है कि जीरो रोड पर प्रतीक्षालय पर उसके सामने एक व्यक्ति की तलाशी लेने पर छुरी मिली थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ़्तर प्र०पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः स्वतंत्र साक्षी इन्द्रसिंह अ०सा०१ ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

8. साक्षी श्रीकृष्ण अ०सा०२ का कथन है कि वह दिनांक 13.11.13 को थाना मौ में प्र०आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अप०क० 268/13 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर लक्ष्मण अ०सा०४, इन्द्रसिंह अ०सा०१ के कथन उनके बताये अनुसार लेख किए थे।
9. धारा 4 आयुध अधिनियम के अधीन म.प्र राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312/6552/2/बी१ दिनांक 22.11.1974 के अनुसरण में प्रतिबंधित आकार की छुरी होने पर भी अपराध सृजित होता है। विनोद अ०सा०३ व लक्ष्मण अ०सा०४ ने इस संबंध में मौखिक साक्ष्य नहीं दी है कि आरोपी से प्राप्त छुरी किस आकार की थी जिससे कि यह निर्धारित नहीं हो सकता है कि छुरी प्रतिबंधित आकार की थी अपितु लक्ष्मण अ०सा०४ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में स्पष्ट कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि छुरी कितनी बड़ी थी। जप्ती पत्रक प्र०पी-1 में भी छुरी का आकार मानक इंच या सेंटीमीटर में उल्लिखित नहीं है। उक्त दोनों साक्षीगण ने यह भी कथन नहीं किया है कि छुरी धारदार थी अथवा नहीं और न ही जप्ती पत्रक प्र०पी-1 में छुरी के धारदार होने का तथ्य उल्लिखित है। उक्त अधिसूचना के अनुसार भी छुरी के धारदार होने पर भी अपराध सृजित होता है। अतः अपराध सृजित करने के लिए आवश्यक अपराध की अंतर्वस्तु के संबंध में भी अभियोजन साक्षीगण ने कथन नहीं किया है।
10. विनोद अ०सा०३ और लक्ष्मण अ०सा०४ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में कथन किया है कि घटना के समय इन्द्रसिंह अ०सा०१ खड़ा था जबकि इन्द्रसिंह अ०सा०१ ने स्वयं के समक्ष आरोपी से कोई छुरी जप्त होने का कथन नहीं किया है। अतः स्वतंत्र साक्षी द्वारा पुलिस साक्षीगण के कथन का खण्डन किया है। उक्त स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य असत्य अवधारित करने के लिए भी अभियोजन द्वारा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं किए गए हैं।
11. साक्षी विनोद अ०सा०३ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में और लक्ष्मण अ०सा०४ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 आरोपी को पहचानने में भी असमर्थता बतायी है जिसका कारण घटना का काफी समय होना बताया है। अतः आरोपी से जप्त छुरी प्रतिबंधित आकार की थी जो अपराध की आवश्यक वस्तु है इस संबंध में भी अभियोजन द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। घटना का समर्थन स्वतंत्र साक्षी इन्द्रसिंह अ०सा०१ ने नहीं किया है। साक्ष्य के दौरान पुलिस साक्षीगण ने आरोपी को पहचानने में भी असमर्थता व्यक्त की है जिससे जप्त छुरी आरोपी से ही उक्त साक्षीगण के समक्ष जप्त हुई यह तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त कारणों से अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 13.11.13 को 14:50 बजे या उसके लगभग मौ गोहद रोड दंदरौआ मोड़ अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक लोहे की छुरी लंबाई करीबन 1 वालिस्त 10 अंगुल को प्रतिबंधित आकार की रखी।
12. परिणामतः आरोपी को धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के आरोप

से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13. प्रकरण में जप्त छुरी पूर्व में नष्ट हो चुकी है।
14. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0